केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/219

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00190
CICOM/R/2018/00630

दिनांक: 10.08.2018

अपीलकर्ता : **श्री विजय कुमार सिंगला,**
आर.वी. शांति नगर, स्ट्रीट नं. 3,
जैतु, जिला – फरीदकोट,
पंजाब -151202.

निर्णय की तारीख : 10.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2017 (भूलवश टंकण चूक)
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	380/08.08.2018 (1090/07.08.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.06.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को लिखे अपने दिनांक 22.12.2017 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00630-DR (IC-BJ) के माध्यम से प्रदान की गई सूचना **बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 AUG 2018
D. No.
Initials.